समक्ष:- न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक:-

निगरानी/दमोह/भू.रा/2017/2511

1. ताहरसींग बल्द गंगासींग,

2. नारायणसींग बल्द गंगासींग,

3. गजराज सींग बल्द गंगासींग

4. भोपाल सिंह बल्द गंगासींग

5. गोविंद सींग बल्द गंगासींग

6. शंकरसींग बल्द गंगासींग

7. मुन्नी बाई बेवा गंगासींग उम्र 65 वर्ष,

8. लक्ष्मीबाई जोजे गुड्डा बल्द गंगासींग

सभी जाति गौंड़, पेशा मजदूरी, साकिन गुरू नानक स्कूल के सामने चौपरा रैयतवारी तह. व जिला दमोह

डाक से प्राप्त
1-8-17

---- पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम
====

1. संतोष बल्द कंछेदी सिंघई

2. राकेश बल्द कंछेदी सिंघई

3. सुनील बल्दकंछेदी सिंघई

सभी साकिन पुराना बाजार नं. 1 दमोहमहावीर वार्ड दमोह तहसील व जिला दमोह

---- उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा अपील क्र. 22अ/70 वर्ष

...2

2016-17 ताहरसींग एवं अन्य विरूद्ध संतोष एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2017 से व्यथित होकर पुनरीक्षण अग्रलिखित तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-

मामले के तथ्य
==========

1. यह कि उत्तरवादीगण के पिता के द्वारा अपने खास मुख्तयार उत्तरवादी क्र. एक के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गंगासींग के विरूद्ध मौजा चौपरा रैयतवारी प.ह.नं. xxxx 19/30 खसरा नंबर 23/6क,23/7 कुल रकबा 1.45 हे. में से 60x60 वर्गफुट भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें कछेदी सिंघई की मृत्यु हो जाने से उत्तरवादीगण एवं गंगासींग की मृत्यु हो जाने से अपीलार्थीगण वारसान की हैसियत से पक्षकार के रूप में शामिल किये गये थे।

2. यह कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता के द्वारा की जाती थी अपीलार्थीगण में से अपीलार्थी क्र. दो की पत्नि की मृत्यु मई 2016 में गंभीर रूप से बीमार होने के कारण हो गई थी जिस कारण अपीलार्थीगण दिनांक 12.5.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो सके एवं अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उक्त दिनांक को पथरिया गये थे जिसकारण न्यायालयीन समय में वापिस लौटकर न आ पाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो सके जिस कारण अपीलार्थीगण को दिनांक 12.5.16 को एकपक्षीय घोषित कर दिया एवं दिनांक 16.8.16 को एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया था। अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी माननीय अधीनस्थ न्यायालयद्वारा भेजे गये पत्रदिनांक 15.12.2016 को हुई थी।

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / दमोह / भू.रा. / 2017 / 2511

ताहरसींग आदि विरूद्ध संतोष कंछेदी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला—दमोह के प्रकरण क्रमांक 22 / अ—70 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 25—07—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11—09—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	